[2019] 13 एस.सी.आर.425

उत्तम राम

बनाम

देविंदर सिंह हुडन और अन्य

(आपराधिक अपील सं. 1545 का 2019)

17 अक्टूबर, 2019

[एल. नागेश्वरा राव और हेमंत गुप्ता, जे.जे]

1. अपीलकर्ता हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला द्वारा 17.12.2018 को पारित एक आदेश के खिलाफ व्यथित है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881[i] की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

2. नोटिस प्राप्ति के बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से किसी ने भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। इसलिए, 16.09.2019 को, इस न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से अदालत की सहायता करने के लिए अधिवक्ता सुश्री लिज़ मैथ्यू से अनुरोध किया।

3. अपीलकर्ता के पास जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सेब का बगीचा है। अपीलकर्ता अन्य सेब उत्पादकों को नकद और उधार के आधार पर सेब के कार्टन, ट्रे और अन्य पैकिंग सामग्री की आपूर्ति भी करता था। उनके पास वाणिज्यिक रोपवे भी है जो विभिन्न अन्य सेब बागानों को सड़क मार्ग से जोड़ता है, जिससे उत्पादकों को अपनी उपज को बगीचे से बाजार तक ले जाने की सुविधा मिलती है।

4. वर्ष 2011 में, प्रतिवादी नंबर 1 ने विभिन्न उत्पादकों की सेब की फसल खरीदी, जिसे आगे के परिवहन के लिए रोपवे के माध्यम से सड़क तक ले जाया गया। पैकिंग सामग्री प्रतिवादी द्वारा अपने अधिकृत एजेंट प्रेम चंद पुत्र कुमत राम के माध्यम से अपीलकर्ता से उधार के आधार पर खरीदी गई थी। सितंबर 2011 के महीने में, अंततः अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के अधिकृत एजेंट के बीच खातों का निपटान किया गया और 5,38,856/- रुपये की राशि वसूली योग्य पाई गई। उक्त राशि के लिए एक चेक संख्या 942816 दिनांक 2.10.2011 जारी किया गया था, लेकिन उक्त चेक बैंक द्वारा 11.10.2011 को 'अपर्याप्त निधि' पृष्ठांकन के साथ प्रस्तुत करने पर वापस कर दिया गया था।

5. इसके बाद अपीलकर्ता ने पंजीकृत लिफाफा के माध्यम से दिनांक 27.10.2011 को प्रतिवादी नंबर 1 के आधिकारिक और घर के पते पर एक कानूनी नोटिस भेजा। लेकिन, 27.10.2011 को नोटिस की प्राप्ति के बावजूद, कोई भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण

अपीलकर्ता द्वारा शिकायतवाद दर्ज किया गया।

6. अपीलकर्ता ने अपनी शिकायतवाद में कहा कि बैग, बोरियां और पैकिंग सामग्री के लिए कुल राशि 7,86,300/- रुपये देय थी और 2,47,444/- रुपये के भुगतान को समायोजित करने के बाद 5,38,856/- रूपये अपीलार्थी को देय पाया गया। अपीलकर्ता ने दावा किया है कि उक्त चेक संख्या 942816 दिनांक 2.10.2011 प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया था।

7. शिकायत के समर्थन में, CW1 धीरज कुमार, जिन्होंने चेक के अनादरण संबंधी बैंक अभिलेख पेश किया, इसके अलावा अपीलकर्ता ने खुद को CW2 के रूप में पेश किया और CW3 के रूप में प्रतिवादी के एजेंट प्रेम चंद पुत्र कुमत राम को भी पेश किया। प्रतिवादी गवाह बॉक्स में उपस्थित नहीं हुआ लेकिन हेड कांस्टेबल रणजीत सिंह DW1 से पूछताछ की।

8. विद्वान विचारण न्यायालय ने शिकायतवाद को इस कारण से खारिज कर दिया कि जब चेक प्रस्तुत किया गया था तो नियत तारीख पर चेक की राशि बकाये राशि से अधिक थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि चेक किसी ऋण के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए जारी किया गया है।

9. अपीलकर्ता ने अपने हलफनामे में वही दावे दोहराए जो शिकायतवाद में दिए गए थे। प्रतिवादी द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में, अपीलकर्ता ने कहा कि प्रदर्श CW1/B में चेक प्रतिवादी द्वारा अक्टूबर 2011 को भरा गया था और वह चेक स्वयं प्रतिवादी द्वारा उसे दिया गया था। तीन व्यक्ति, वह स्वयं, अभियुक्त और प्रतिवादी का एजेंट एक साथ बैठे थे। उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि उन्हें एक भरा हुआ चेक दिया गया था। उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने चेक प्रदर्श CW1/B जारी नहीं किया था। उन्होंने इस बात से भी इंकार किया कि प्रेम चंद ने आरोपी के चेक का दुरुपयोग किया क्योंकि उसने आरोपी की हस्ताक्षरित चेक बुक चुरा ली है और उसने एक खाली चेक भर दिया है।

10. CW3 प्रेम चंद ने अपनी गवाही में बताया कि प्रतिवादी ने अनुबंध पर अपने क्षेत्र में सेब उत्पादकों, जिसमें अपीलार्थी भी शामिल था, से सेब खरीदा, उन्हें शिमला, चंडीगढ़ और दिल्ली भेजने के लिए। उन्होंने अपनी गवाही में आगे बताया कि अपीलकर्ता को 7,86,300/- रुपये की राशि वसूल करनी थी और 2,47,444/- रुपये के समायोजन के बाद शेष राशि प्रतिवादी द्वारा भुगतान की जानी थी, जिसके लिए उनकी उपस्थिति में समझौता किया गया था और चेक संख्या 942816 दिनांक 2.10.2011 रूपये 5,38,856/- का जारी किया गया था।

11. प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि वह सभी पैकिंग सामग्री का हिसाब रखता था। उन्हें सुझाव दिया गया कि आरोपी ने चेक उसके पास रखा था जिसे वह बागवानों को देता था। हालाँकि, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि चेक प्रदर्श CW1/B कुठवा में आरोपी द्वारा उनकी उपस्थिति में दिया गया था। चेक देने से पहले हिसाब किताब चुकता कर लिया गया

था। उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने वर्ष 2011 में चेक बुक गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करायी थी। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी ने हस्ताक्षर कर चेक बुक दी थी। उन्होंने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रश्नगत चेक अपीलकर्ता के साथ मिलीभगत के कारण भरा गया था। प्रतिवादी ने दंड प्रक्रिया संहिता[ii] की धारा 313 के तहत अपने बयान में अभियोजन के कथन से इंकार किया। प्रासंगिक प्रश्न संख्या 9 और उत्तरदाता द्वारा दिया गया उत्तर इस प्रकार है:

' प्रश्न 9. आप आरोपी के खिलाफ वर्तमान मामला क्यों बनाया गया है?

उत्तर. यह झूठा मामला है। मेरे चेक का दुरुपयोग किया गया है।''

12. आरोपी द्वारा जांच किए गए DW1-रंजीत, हेड कांस्टेबल ने चेक नंबर 942801-942820 चेक बुक के खो जाने के संबंध में दिनांक 09.09.2011 की अपनी एक प्रविष्टि पेश की।

13. विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि केवल प्रविष्टि प्रदर्श DW1/A का प्रस्तुतिकरण यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसने उक्त चेक जारी नहीं किया था, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट, चेक बुक के खो जाने का झूठा सबूत बनाने के इरादे से बनाई गई हो सकती है। न्यायालय ने पाया कि वास्तव में यदि चेक खो गया था, तो आरोपी के पास उक्त चेक के दुरुपयोग के लिए एफआईआर दर्ज करने के कई अवसर थे क्योंकि उसने नोटिस प्रदर्श CW1/G की पावती पर हस्ताक्षर किए थे। विद्वान विचारणीय न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया

"...इस प्रकार, यह उचित संदेह से परे साबित हो गया है कि चेक प्रदर्श CW1/B आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी किया गया था। इसके अलावा, रिटर्न मेमो प्रदर्श CW/C के माध्यम से चेक का अनादरण भी साबित हो गया। इसके अलावा कानूनी मांग नोटिस भी अनादरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर जारी किया गया था। इसके बाद, वर्तमान शिकायतवाद सीमा अवधि के भीतर दाखिल कर दी गई थी।"

14. इसके अलावा, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अनुमान किया कि चेक की राशि कानूनी रूप से प्रर्वतनीय ऋण है, जब निम्नलिखित निष्कर्ष वापिस किया गया तो इसका खंडन नहीं किया गया:

"... शिकायतकर्ता से उसकी वित्तीय क्षमता के बिंदु पर कोई सार्थक प्रतिपरीक्षण नहीं की गई । तदनुसार, आरोपी द्वारा उपरोक्त धारणा का खंडन यह साबित करके नहीं किया गया है कि शिकायतकर्ता के पास अपेक्षित वित्तीय क्षमता नहीं थी। तदनुसार, उक्त बचाव खारिज किया जाता है।"

15. हालाँकि, विद्वान विचारण न्यायालय ने शिकायतवाद के सापेक्ष अपीलकर्ता के बयान

में डिब्बों की संख्या में विरोधाभास पाया। यह भी पाया गया कि चेक की राशि कथित तौर पर चेक प्रस्तुत करने की तारीख को देय राशि से अधिक है, इसलिए शिकायतवाद खारिज कर दी गई। यह माना गया कि सेब के डिब्बों की संख्या के बारे में तीन अलग-अलग संस्करण हैं, इसलिए, कथित राशि शिकायतकर्ता द्वारा दावा की गई राशि से कम होनी चाहिए।

16. एक अपील में, उच्च न्यायालय ने **हितेन पी. दलाल बनाम ब्रतींद्रनाथ बनर्जी**[iii], **कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम शर्मा कारपेट्स**[iv] **और रंगप्पा बनाम श्री मोहन**[v] जैसे फैसलों पर भरोसा करते हुए अभिनिर्धारित किया कि चेक तब तक प्रतिफल के लिए माना जाएगा जब तक न्यायालय यह विश्वास नहीं बना लेता कि प्रतिफल अस्तित्व में नहीं है या विचार करता है कि प्रतिफल का अस्तित्व इतना असंभावित है कि कोई विवेकशील व्यक्ति मामले की किसी भी परिस्थिति में इस दलील पर कार्य नहीं करेगा कि प्रतिफल अस्तित्व में नहीं है। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार फैसला सुनाया:

> "21.अब, मामले के तथ्यों पर गौर करें तो यह देखा जाएगा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने विभिन्न बचाव पेश किए थे, लेकिन विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि, यह केवल विरोधाभासों के आधार पर था, वह भी स्वयं अपीलकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को बरी करने का आदेश दिया गया था।"

17. उच्च न्यायालय ने फिर से खाली सेब के डिब्बों और प्रति कार्टन दर के संबंध में विरोधाभासों का उल्लेख किया, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अपीलकर्ता उचित संदेह से परे प्रतिवादी के अपराध को साबित करने में विफल रहा है।

18. हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अनुचित है; तर्कहीन होने के साथ-साथ भौतिक अवैधता और अनियमितता से ग्रस्त है, जिसे अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायतवाद में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

19. एक परक्राम्य लिखत, चेक सहित अधिनियम की धारा 118 (ए) और धारा 139 के तहत प्रतिफल का उपधारणा होता है। धारा 118 (ए) और 139 इस प्रकार उद्धृत है:

" 118. **परक्राम्य लिखतों के बारे में धारणाएँ-** जब तक विपरीत साबित न हो जाए, निम्नलिखित धारणाएँ बनाई जाएँगी:-

> **(क) प्रतिफल के विषय में -** यह कि हर एक पराक्रम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गई थी और यह कि हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, पराक्रमित या अन्तरित हो चुकी हो तब वह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या आन्तरित की गई थी.

xxx xxx xxx

139. धारक के पक्ष में उपधारणा- जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।"

20. विचारण न्यायालय और उच्च् न्यायालय इस तरह आगे बढ़े मानो, अपीलकर्ता को दीवानी न्यायालय के समक्ष ऋण साबित करना हो, जिसमें वादी को ऋण की वसूली के लिए अपने दावे के समर्थन में रखे जाने वाले साक्ष्य के आधार पर अपना दावा साबित करना आवश्यक हो। चेक के अनादरण पर प्रतिफल की वैधानिक उपधारणा होती है। चेक धारक को नियत समय में यह साबित करना होगा कि चेक अभियुक्त द्वारा जारी किया गया था और जब उसे प्रस्तुत किया गया, तो उसका भुगतान नहीं किया गया था। चूंकि प्रतिफल की एक वैधानिक उपधारणा है, इसलिए अभियुक्त पर इस उपधारणा का खंडन करने का भार है कि चेक किसी ऋण या अन्य देनदारी के लिए जारी नहीं किया गया था।

21. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिफल की उपधारणा का शासनादेश है। चेक जारी करने के सबूत पर यह जिम्मेदारी अभियुक्त पर आ जाती है कि वह इस धारणा का खंडन करे कि चेक अधिनियम की धारा 138 के संदर्भ में किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था, जो इस प्रकार उद्धृत है:

"138. खातों में अपर्याप्त निधियों, आदि के कारण चेक का अनादरण - जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चेक बैंक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चेक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या वह उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए कराकर द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गया है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि (दो वर्ष) तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो चेक की रकम का दोगुना तक हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।"

22. **कुमार एक्सपोर्ट्स में,** यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल ऋण के अस्तित्व से इंकार करने से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, लेकिन अभियुक्त इस उपधारणा का खंडन करने के लिए साक्ष्य पेश कर सकता है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"20. अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमे में अभियुक्त के पास दो विकल्प हैं।

वह या तो दिखा सकता है कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं थे या मामले की विशेष परिस्थितियों में प्रतिफल और ऋण का अस्तित्व इतना असंभावित है कि एक विवेकशील व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि कोई प्रतिफल और ऋण अस्तित्व में नहीं था। वैधानिक उपधारणाओं का खंडन करने के लिए एक अभियुक्त से उचित संदेह से परे अपने बचाव को साबित करने की उम्मीद नहीं की जाती है जैसा कि एक आपराधिक मुकदमे में शिकायतकर्ता से उम्मीद की जाती है। अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है कि विचाराधीन नोट उपधारणा से समर्थित नहीं था और उसके द्वारा चुकाया जाने वाला कोई ऋण या दायित्व नहीं था। हालाँकि, न्यायालय को हर मामले में इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य देकर प्रतिफल और ऋण उपधारणा की गैर-मौजूदगी को गलत साबित करना चाहि, क्योंकि नकारात्मक साक्ष्य का अस्तित्व न तो संभव है और न ही उस पर विचार किया जा सकता है। साथ ही, यह स्पष्ट है कि प्रतिफल पारित करने और ऋण के अस्तित्व से इंकार करने से स्पष्ट रूप से अभियुक्त का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साक्ष्य का भार शिकायतकर्ता पर डालने के लिए कुछ ऐसी बातें अभिलेख पर लानी होंगी जो संभावित हों। उपधारणा को असिद्ध करने के लिए, अभियुक्त को ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को अभिलेख पर लाना चाहिए, जिन पर विचार करने से, न्यायालय या तो यह मान सकती है कि प्रतिफल और ऋण मौजूद नहीं थे या उनकी मौजूदगी इतनी असंभावित थी कि एक विवेकशील व्यक्ति इन परिस्थितियों में इस दलील पर कार्रवाई करें कि उनका अस्तित्व ही नहीं था। यह साबित करने के लिए कि विचाराधीन नोट उपधारणा समर्थित नहीं था या उस पर कोई ऋण या देनदारी नहीं थी, प्रत्यक्ष साक्ष्य जोड़ने के अलावा अभियुक्त् परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी भरोसा कर सकता है और यदि जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, वे बाध्यकारी हैं, तो इसी तरह बोझ फिर से शिकायतकर्ता पर पड़ सकता है। अभियुक्त् तथ्य की उपधारणाओं पर भी भरोसा कर सकता है, उदाहरण के लिए, अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत उत्पन्न होने वाली उपधारणाओं का खंडन करने के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में उल्लेखित अनुमानों पर।

(जोर दिया गया)

23. **किशन राव बनाम शंकरगौड़ा**[vi] के रूप में प्रतिवेदित किए गए एक फैसले में, इस न्यायालय ने **कुमार एक्सपोर्ट्स और रंगप्पा** का जिक्र करते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष दिए:

"22. एक और निर्णय जिस पर गौर करने की आवश्यकता है वह है *रंगप्पा बनाम श्री मोहन [रंगप्पा बनाम श्री मोहन, (2010) 11 एससीसी 441:(2010) 4 एससीसी (सिव) 477:(2011) 1 एससीसी (सीआरआई) 184]*। इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की

पीठ को 1881 अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा का अनुभोग करने का अवसर मिला। उपरोक्त मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त एक संभावित बचाव पेश करने में सक्षम है, जो ऋण या देनदारी के अस्तित्व के संबंध में संदेह पैदा करता है, तो उपधारणा विफल हो सकती है। पैरा 26 और 27 में निम्नलिखित बताया गया था: (एससीसी पृ. 453.54)

"26. इन उद्धरणों के प्रकाश में, हम प्रतिवादी दावेदार के साथ सहमत हैं कि अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य उपधारणा में वास्तव में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का अस्तित्व शामिल है। उस हद तक, *कृष्ण जनार्दन भट्ट [कृष्ण जनार्दन भट्ट बनाम दत्तात्रेय जी. हेगड़े,* (2008) 4 एससीसी 54: (2008) 2 एससीसी (सीआरआई) 166] में आक्षेपित टिप्पणियाँ सही नहीं हो सकती हैं। हालाँकि, यह किसी भी तरह से उस मामले में निर्णय की शुद्धता पर संदेह नहीं करता है क्योंकि यह उस वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित था। जैसा कि उद्धरणों में उल्लेख किया गया है, यह निश्चित रूप से एक निराकरणीय उपधारणा की प्रकृति में है और यह अभियुक्त के बचाव के लिए खुला है जिसमें कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व के अस्तित्व का विरोध किया जा सकता है। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक उपधारण शिकायतकर्ता के पक्ष में रहेगी।

27. अधिनियम की धारा 139 रिवर्स ओनस क्लॉज का एक उदाहरण है जिसे परक्राम्य लिखत की विश्वसनीयता में सुधार के विधायी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। जबकि अधिनियम की धारा 138 चेक के अनादरण के संबंध में एक मजबूत आपराधिक उपाय निर्दिष्ट करती है, धारा 139 के तहत खंडन योग्य उपधारणा मुकदमेबाजी के दौरान अनुचित देरी को रोकने का एक माध्यम है। हालाँकि, यह याद रखना चाहिए कि धारा 138 द्वारा दंडनीय बनाए गए अपराध को नियामक अपराध के रूप में बेहतर ढंग से वर्णित किया जा सकता है, क्योंकि चेक का अनादरण होना काफी हद तक एक दीवानी अपकार की प्रकृति का है जिसका प्रभाव आम तौर पर वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल निजी पक्षकारों तक सीमित होता हैं। ऐसे परिदृश्य में, आनुपातिकता के परीक्षण को रिवर्स ओनस क्लॉज के निर्माण और व्याख्या का मार्गदर्शन करना चाहिए और प्रतिवादी-अभियुक्त से अनावश्यक रूप से उच्च मानक के साक्ष्य का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।

24. **बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार**[vii] के रूप में प्रकाशित किए गए एक फैसले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा एक विधि की उपधारणा है। न्यायालय ने निम्नानुसार उद्धृत किया:

"20. धारा 139 प्रमाण भार के रूप में सामान्य नियम में एक अपवाद पेश करती है

और अभियुक्त पर जिम्मेदारी डाल देती है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा एक विधि की उपधारणा है जो तथ्यों की उपधारणा से अलग है। उपधारणा साक्ष्य के नियम हैं और निर्दोषता की धारणा के विरोधाभाषी नहीं हैं, जिसके लिए अभियोजन पक्ष को आरोपी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन के दायित्व को विधि की 34 धारणाओं और तथ्य की उपधारणाओं की मदद से पूरा किया जा सकता है जब तक कि अभियुक्त हितेन पी. दलाल [हितेन पी. दलाल बनाम ब्रतींद्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एससीसी 16: 2001 एससीसी (सीआरआई) 960] मामले में प्रतिपादित तथ्य की गैर-मौजूदगी की उचित संभावना दिखाने वाले साक्ष्य पेश नहीं करता है।

xxx xxx xxx

33. विशेष रूप से, धारा 20, 87 और 139 सहित, परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधानों को सार्थक ढंग से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति जो चेक पर हस्ताक्षर करता है और इसे पानेवाला को सौंप देता है, वह तब तक उत्तरदायी रहता है जब तक कि वह इसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है जो इस धारणा का खंडन करें कि चेक ऋण के भुगतान या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। यह कोई मायने नहीं रखता कि चेक लेखीवाल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा गया हो, यदि चेक लेखीवाल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। यदि चेक अन्यथा वैध है, तो धारा 138 के दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे।

xxx xxx xxx

36. यहां तक कि अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षरित और सौंपा गया एक खाली चेक पत्ता, जो कुछ भुगतान के लिए है, किसी ठोस सबूत के अभाव में कि चेक कर्ज़ चुकाने में जारी नहीं किया गया था परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा को आकर्षित करेगा।"

25. **रोहितभाई जीवनलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य और अन्य**[viii] के रूप में प्रकाशित किए गए अन्य फैसले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"18. जहां तक पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत उपधारणा बनाने के लिए बुनियादी संघटकों के अस्तित्व का सवाल है, तो स्पष्ट है कि अभियुक्त-अपीलकर्ता उन चेकों पर अपने हस्ताक्षर से इंकार नहीं कर सकता जो शिकायतकर्ता के पक्ष में आरोपी द्वारा रखे गए बैंक खाते पर 3 लाख रुपये की राशि के लिए तैयार किए गए थे। उक्त चेक उनकी वैधता की अवधि के भीतर संबंधित बैंक को प्रस्तुत किए गए थे और शेष राशि अपर्याप्त होने या खाता बंद होने के कारण बिना भुगतान के वापस

कर दिए गए थे। धारा 138 के साथ-साथ धारा 118 और 139 की सभी मूल संघटक अभिलेख पर उपलब्ध हैं। विचारण न्यायालय ने भी जानबूझकर इन तथ्यों पर ध्यान दिया था और अपेक्षित उपधारणा बनाया था। इसलिए, यह मानने की आवश्यकता है कि प्रश्नगत चेक प्रतिफलाल तैयार किए गए थे और चेक धारक यानी शिकायतकर्ता को मौजूदा ऋण के निर्वहन में इसे प्राप्त हुआ था। इसलिए, संभावित बचाव स्थापित करने की जिम्मेदारी आरोपी-अपीलकर्ता पर आ जाती है ताकि इस तरह की उपधारणा का खंडन किया जा सके।"

xxx xxx xxx

20. संभावनाओं की प्रधानता से संबंधित पहलुओं पर, अभियुक्त को ऐसे तथ्यों और ऐसी परिस्थितियों को अभिलेख पर लाना होगा जो न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सकती हैं कि या तो प्रतिफल अस्तित्व में नहीं था या इसकी गैर-मौजूदगी इतनी असंभावित थी कि एक विवेकशील व्यक्ति, मामले की परिस्थितियों में, इस दलील पर कार्रवाई करें कि प्रतिफल मौजूद नहीं था। इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि यद्यपि ऐसे पर्याप्त नकारात्मक सबूत नहीं हो सकते हैं जिन्हें आरोपी द्वारा अपने बोझ से मुक्त करने के लिए अभिलेख पर लाया जा सके, फिर भी केवल इंकार करने से खंडन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी जैसा कि एनआई एक्ट की धारा 118 एवं 139 के तहत परिकल्पित किया गया है...

xxx xxx xxx

32. पूर्वगामी परिच्छेदों में चर्चा का परिणाम यह है कि जिन प्रमुख विचारों पर विचारण न्यायालय ने आगे बढ़ने का फैसला किया, वह स्पष्ट रूप से उसके दृष्टिकोण की मूलभूत त्रुटि को दर्शाता है, जहां उपधारणा लगाने के बावजूद, वह इस तरह आगे बढ़ा था जैसे कि शिकायतकर्ता को अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करना था। विचारण न्यायालय की ओर से मौलिक दोष होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय बरी करने के फैसले को उलटने में अवैधानिक रूप से कार्य किया या अपने अधिकार क्षेत्र को पार किया। जैसा कि ऊपर देखा गया है, वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने विवेकपूर्वक और सावधानीपूर्वक विचारण न्यायालय के विचारों पर विचार किया है और समग्र रूप से अभिलेख पर साक्ष्यों की जांच करने के बाद, पाया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष प्रतिकूलता से निष्फल् हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप अपरिहार्य था; बल्कि मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए जरूरी था।"

26. ऊपर बताए गए प्रकाशित निर्णयों के मद्देनजर, हम पाते हैं कि प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से 2.10.2011 को चेक जारी करने में प्रतिफल की

उपधारणा का खंडन नहीं किया है:

1. CW 3 का बयान, कि वह प्रतिवादी का एजेंट नहीं था, प्रतिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है।
2. CW2 के रूप में अपीलकर्ता का यह कथन कि चेक प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया था, चुनौती रहित है।
3. प्रतिवादी ने अपने बयान में इस बात से भी इंकार नहीं किया है कि चेक उसके द्वारा जारी नहीं किया गया था। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के प्रतिपरीक्षण से यह भी पता नहीं चलता है कि उसके द्वारा चेक पर किये गये हस्ताक्षर विवादित नहीं हैं।
4. प्रतिवादी 09.09.2011 को पुलिस के पास दर्ज प्रविष्टि पर भरोसा करता है कि चेक बुक खो गई थी। हालाँकि, 27.10.2011 को चेक अनादरण की सूचना प्राप्त होने के बाद भी, प्रतिवादी ने चेक के खो जाने के संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई। मात्र प्रविष्टि चेक के खो जाने का प्रमाण नहीं है जैसा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने स्वयं पाया है, क्योंकि यह चेक राशि के भुगतान से बचने के लिए साक्ष्य निर्माण हेतु स्वयं-सेवी रिपोर्ट है।
5. प्रतिवादी इस तथ्य को साबित करने के लिए गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुआ है कि चेक बुक खो गई थी या चेक किसी ऋण या देनदारी के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था।
6. संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी का बयान केवल इस आशय का है कि चेक का दुरुपयोग किया गया था इस बयान में कोई मत नहीं है कि चेक बुक चोरी हो गई थी.
7. धारा 313 के तहत आरोपी का बयान आरोपी के बचाव का ठोस सबूत नहीं है, बल्कि आरोपी के अभियोजन पक्ष के मामले में दिखाई देने वाली दोषपूर्ण परिस्थितियों को समझाने के लिए एक अवसर मात्र है। इसलिए, इस धारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि चेक प्रतिफल के लिए जारी किया गया था।

27. एक बार जब प्रतिवादी के एजेंट ने देय राशि के निपटान को स्वीकार कर लिया और किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय केवल देय राशि के निर्धारण या मौखिक साक्ष्य में विसंगतियों के कारण शिकायतवाद को खारिज नहीं कर सकता। जब लिखित दस्तावेज़ उस देय राशि को स्पष्ट कर देता है जिसके लिए चेक जारी किया गया था।

28. अभियुक्त वैधानिक उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य पेश करने में विफल रहा है, यह निष्कर्ष विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा लौटाया गया

है। दोनों न्यायालयों ने न केवल विधिक भूल की है, बल्कि प्रतिकूलता भी की, जब देय राशि को केवल डिब्बों, पैकिंग सामग्री या कुल दायित्व निर्धारित करने की दर में विसंगति के कारण विवादित कहा जाता है, जैसे कि अपीलकर्ता दीवानी न्यायालय के समक्ष अपना ऋण साबित कर रहा हो। इसलिए, यह माना जाता है कि प्रश्नगत चेक प्रतिफल के लिए तैयार किया गया था और चेक धारक यानी अपीलकर्ता को मौजूदा ऋण के निर्वहन में प्राप्त हुआ था। इसके बाद, संभावित बचाव स्थापित करने की जिम्मेदारी आरोपी-अपीलकर्ता पर आ जाती है ताकि ऐसी उपधारणा का खंडन किया जा सके, जिसे प्रतिवादी द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है।

29. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने **एमएस नारायण मेनन बनाम केरल राज्य**[ix] में प्रकाशित किए गए निर्णय का उल्लेख किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर प्रतिफल की उपधारणा का खंडन करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। हालाँकि, उक्त निर्णय की वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं है क्योंकि विचारण न्यायालय ने पाया है कि उपधारणा का खंडन नहीं किया गया है लेकिन फिर भी विचारण न्यायालय शिकायतवाद को इस कारण से खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता चेक में उल्लिखित राशि को देय राशि साबित करने में विफल् रहा है। एक बार जब चेक जारी किया जाना साबित हो जाता है, तो उस पर प्रतिफल की वैधानिक उपधारणा लागू हो जाती है। तब प्रतिवादी पर यह दायित्व होता है कि वह उस उपधारणा को ना साबित करे, जिसमें प्रतिवादी बुरी तरह विफल रहा है।

30. **कुमार एक्सपोर्ट्स** में अनुमान का खंडन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और न्यायालय द्वारा स्वीकार किए गए थे। इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि भार वापस शिकायतकर्ता पर चला जाता है और अधिनियम के तहत उपधारणा फिर से उसके बचाव में नहीं आएगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता द्वारा रखे गए साक्ष्य के आधार पर भी प्रतिवादी द्वारा प्रतिफल की उपधारणा का खंडन नहीं किया गया है। चेक जारी करने पर प्रतिफल की उपधारणा का खंडन करने के लिए आपूर्ति किए गए डिब्बों की संख्या या शुल्क् की दर में अंतर प्रासंगिक नहीं है जब खातों को लिखित रूप में निपटान किया गया था।

31. **विजय बनाम लक्ष्मण और अन्य**[x] में इस न्यायालय ने शिकायतकर्ता के मामले में गंभीर विसंगतियां पाईं और कोई मामला नहीं पाया जब उच्च न्यायालय ने विकृत प्रतिकूल निष्कर्षों को जन्म देने वाले स्पष्ट सबूतों के आधार पर दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया था।

32. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने **एम.एस. नारायण मेनन और के. प्रकाशन बनाम पी.के. सुरेंद्रन**[xi] का भी उल्लेख किया कि यदि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो अपीलीय अदालत बरी करने के निर्णय को केवल इसलिए नहीं पलटेगी कि एक और दृष्टिकोण लेना संभव है है। विद्वान अधिवक्ता **जॉन के. अब्राहम बनाम साइमन सी. अब्राहम**[xii] के रूप में

प्रकाशित किए गए फैसले पर भी भरोसा करते हैं कि केवल यह तथ्य कि वैधानिक नोटिस का उत्तर नहीं दिया गया था, प्रतिवादी के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकता है। हम प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। वास्तव में, निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष वैधानिक प्रावधानों की पूरी तरह से गलत व्याख्या हैं, खासकर तब जब प्रतिवादी ने प्रतिफल की उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अभियोजन पक्ष के गवाह का प्रतिपरीक्षण प्रतिफल की उपधारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। डिब्बों, ट्रे या पैकिंग सामग्री या शुल्क की दर से संबंधित बयान में विवरण में केवल विसंगतियां वैधानिक उपधारणा का खंडन नहीं करेंगी जो CW3 प्रेम चंद द्वारा सिद्ध किया गया है।

33. प्रतिवादी को बरी करने के लिए विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष न केवल अवैधानिक है, बल्कि प्रतिकूलता के कारण वैधानिक रूप में पूरी तरह से अस्थिर है। निष्कर्ष निकालने से पहले, हम अभिलेख पर रखना चाहेंगे कि सुश्री मैथ्यू ने इस न्यायालय को यह संप्रेरणा में सहायता की है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

34. नतीजतन, वर्तमान अपील को मंजूर किया जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया जाता है। प्रतिवादी को अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक के अनादरण के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। प्रतिवादी को जुर्माने के तौर पर 10,77,712/- रुपये यानी चेक की राशि 5,38,856/- रुपये का दोगुना और 1,00,000/- रुपये मुकदमे का खर्च तीन महीने के भीतर अदा करना होगा। यदि जुर्माने की राशि और लागत तीन महीने के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो प्रतिवादी को छह महीने की अवधि के लिए कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसका अनुवाद मेरे द्वारा किया गया।

निशांत कुमार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय

व्यवहार न्यायालय, जमशेदपुर.

Code- JH00577

Email id. nishant9810@gmail.com

i संक्षेप में 'अधिनियम'
ii संक्षिप्त 'कोड' के लिए
iii (2001) 6 एससीसी 16
iv (2009) 2 एससीसी 513
v (2010) 11 441
vi (2018) 8 एससीसी 165
vii (2019) 4 एससीसी 16 197
viii एआईआर 2019 एससी 1876
ix (2006) 6 एससीसी 39
x (2013) 1 एससीसी 86
xi (2008) 1 एससीसी 258
xii (2014) 2 एससीसी 236